



## छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

### सम्बद्धता (Affiliation) प्रमाण - पत्र

### किलोमा इन एज्यूकेशन परीक्षा (विवरित संघरण)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की पारा 8 (ब) में निहित शिक्षाओं का द्वारा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थी भी संभव होने के लिए हिन्दी/ओडीजी भाषायां में अध्ययन हेतु नीचे दी गई नियम शर्तीय हैं।

- \* संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 एवं प्रान्तीय शिक्षा अधिनियम 1994 (परीक्षा के लिए संलग्न) के सभी प्रावधारों का पूर्णरूपण (in letter and spirit) पालन किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर आर्थि किसी भी नियमों, विधियों, आदेशों का भी संस्थानीय समुचित पालन किया जायेगा। इनमें से किसी भी प्रावधारों का पालन न किये जाने की क्षमता, छ.ग.पा.श. मण्डल रायपुर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965, की पारा 6 (घ च घ) के प्रावधारों के अंतर्गत यह प्रान्तीय शिक्षा की कार्यवाही कर सकती है।
  - \* संस्था द्वारा एन सी टी है एवं एस सी है और टी रायपुर के द्वारा समय-समय पर नियमित मापदण्डों एवं नियमों का वालन करना अनिवार्य होगा।
  - \* शाला/स्कूल/संस्था का निरीक्षण छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी/निरीक्षण दल द्वारा किया जा सकता।
  - \* शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका) में कम्प्यूटर शिक्षा की अध्यापन व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा उसके मान से उपरान्त तथा पृथक कमरे होना आवश्यक है। कम्प्यूटरों की संख्या प्रति तीन विद्यार्थी पर न्यूनतम एक होना अनिवार्य है।
  - \* शाला में नियमित रूप से अध्ययनसत छात्रों के लिए एक शैक्षणिक पाठ्यालय निर्मित किया जायेगा जिससे न केवल छात्रों का शैक्षिक स्वरूप उन्नत होगा औले उनके व्यक्तित्व का भी संपूर्ण विकास होगा। यह अनिवार्य होगा कि शाला में अध्ययनसत छात्रों का असूत प्रशिक्षण सत से कम मण्डल के औसत परीक्षाफल के समकक्ष हो अन्यथा शाला की मान्यता समाप्त की जा सकती तथा आगामी तीन वर्षों के लिए प्रान्तीय शिक्षा का विचार नहीं किया जायेगा।
  - \* संस्था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में यथासमय निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर में संभागीय कार्यालय, यिलासपुर में प्रस्तुत करें।
  - अ - संस्था किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी समय और स्थान पर विशेष विद्यार्थी या परीक्षण संस्था का ऐसी परीक्षाओं के लिए नहीं तैयार करेंगी और न ही भेजेंगी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के द्वारा ही जा रही परीक्षाओं के समान स्वरूप और उसकी हो।
  - अं संस्था अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य भूजनात्मक विकास मनोरोग और खेलकूद के विकास लिए भी समुचित व्यवस्था करेगी।
  - (क) बच्चे में एक बार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।
  - (ख) शैक्षिकीय गतिविधियां समय-समर्थ पर शाला-द्वारा संचालित की जायेंगी।
  - \* विद्यालयीन शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में संस्था के शिक्षकों को निर्देशानुसार व्याख्यानांकित कर प्रशिक्षण हेतु भेजना अनिवार्य होगा।
  - \* शाला के छात्र द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामूहिक नक्कल में/अनुचित राखने के प्रत्योग में लिप्त पाप जाते हैं तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा शाला की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती तथा शाला आगामी तीन वर्षों तक मण्डल की परीक्षाओं हेतु मान्यता प्राप्ति हेतु अपाप्र रहेंगी।
  - \* मानवीय उच्च व्यायालय के विचारक अधिकारी क्रमांक 161/2002 में हुए निर्णयानुसार संस्था के छात्रों को पालीभिन बेग एवं उससे बची हुई सामग्री के उपयोग से होने वाले खुफ्रभारों की जानकारी अनिवार्य ही जायें।
  - \* प्राचार्य इस प्रमाण - पत्र को अपने काक्ष में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।
- विशेष सूचना :-** यह मान्यता के बाल उत्तरापत्त अवधि २०१०।८.१५.२०१० से २०१०।८.१५.२०११ के लिए प्रभावशाली है। आगामी वर्षों के लिए यथासमय आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में तथा पृथक प्रमाण - पत्र जारी होने पर तो उस प्रमाण के लिए समय: ८.८.१५.२०११ परीक्षा वी मान्यता प्राप्त मानी जायेगी, अन्यथा नहीं।

संचित

प्राचार्य विवरित विवरित विवरित

११५४